श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 8 जनवरी, 1987

सं० ओ० वि०/एफ०डी०/90-86/459.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हर्टीकल्चर डिपार्टमैन्ट), स्टेट आफिस, सैक्टर 16, फरीदाबाद के श्रमिक श्री धनेश्वरयति, पुत्र श्री सुखदर यति, मार्फत मर्कनटाईल इम्पलाईज एसोसिएशन एच-147, न्यू राजेन्द्रा नगर, नई दिल्ली-110060 तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम-5/11245, दिनांक 2 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री धनेश्वरयति की सेवा समाप्ति/छंटनी न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

दिनांक 9 जनवरी, 1987

सं० ओ० वि०/कुरुक्षेत्र/31-86/1120.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल कि राय है कि मै० (1) परिवहन आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़, (2) महा प्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, कैथल, के श्रमिक श्री छबील दास, पुत्र श्री दयाल चन्द, शिकला मोहल्ला, गांव व डा० फतेहपुर, तह० कैथल, जि० कुरुक्षेत्र तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री छबील दास मालफ पुत्र श्री दयाल चन्द की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं० ओ० वि०/कुरुक्षेत्र/29-86/1127.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० (1) सचिव, मुख्य प्रशासक हरियाणा एग्रीकल्चरल मार्कीटिंग बोर्ड, चण्डीगढ़, (2) प्रशासक मार्किट कमेटी कैथल, के श्रमिक श्री अजबकमार, पुत्र श्री बनारसी दास हाउस नं० 64/11 मैन बाजार कैथल, तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री अजय कुमार पुत्र श्री बनारसी दास की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है?

आर. एस. अग्रवाल,

उप-सचिव, हरियाणा सरकार,

श्रम विभाग।